रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 102] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 15, 2015/पौष 25, 1936
No. 102] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 15, 2015/PAUSA 25, 1936

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2015

का.आ. 162(अ).—जबकि भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् (निर्वाचन) नियमावली, 1975 के नियम 23 के साथ पठित भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलोर, कर्नाटक की आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के एक-एक सदस्य को उक्त विश्वविद्यालय के आयुर्वेद और यूनानी संकायों के सदस्यों द्वारा अपने बीच से निर्वाचित किया गया है;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार अब भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की दिनांक 21 अगस्त, 1971 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3259 में निम्नांकित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, "धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन निर्वाचित" शीर्षक के अधीन दोनों स्थानों पर लिखित राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी और प्रतिस्थापित हुई मानी जाएंगी अर्थात् :—

विश्वविद्यालय का नाम	**सदस्य का विवरण**	**चिकित्सा पद्धति**	**संकाय में सदस्यता की वैध अवधि**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
"राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, चौथा टी ब्लॉक, जयनगर, बैंगलोर-560041 (कर्नाटक)	डॉ. बी.आर. रामकृष्ण प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, सुश्रुत आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, प्रशांति कुटीरम्, 5 व्यास कैम्पस जोड़ीबिंगीपुरा जिगानी, बैंगलोर - 560106 (कर्नाटक)	आयुर्वेद	14 अक्तूबर, 2014 से 18 फरवरी, 2017 या उनके राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलोर-560041 (कर्नाटक) के आयुर्वेद संकाय का सदस्य रहने तक।
राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, चौथा टी ब्लॉक, जयनगर, बैंगलोर-560041 (कर्नाटक)	डॉ. रक्षिंदा सुभानी, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, डॉ. सिद्दैया पुराणिक रोड, बासवेश्वर नगर, बैंगलोर-560079 (कर्नाटक)	यूनानी	14 अक्तूबर, 2014 से 18 फरवरी, 2017 या उनके राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलोर-560041 (कर्नाटक) के यूनानी संकाय का सदस्य रहने तक।

[सं. ए. 11019/39/13-ईसी/सीसीआईएम विश्वविद्यालय निर्वाचन]

जितेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3259, तारीख 21 अगस्त, 1971 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2650, तारीख 15 अक्तूबर, 2014 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2015

S.O. 162(E).—Whereas in pursuance of clause (b) of sub-section (1) of Section 3 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) read with rule 23 of the Indian Medicine Central Council (Election) Rules, 1975, one member each from Ayurveda and Unani Systems of Medicine for the Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore, Karnataka have been elected from amongst themselves by the members of Ayurveda and Unani faculty of the said University;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the said Act, the Central Government makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 3259, dated the 21st August, 1971 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:—

In the said notification, under the heading "Elected under clause (b) of sub-section (1) of Section 3", in the Table, in column (1), for Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka, occurring at both places and the entries relating thereto the following entries shall respectively be substituted and shall deemed to have been substituted, namely:—

Name of the University	Particulars of the member	System of Medicine	Valid term of Membership in the Faculty
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
"Rajiv Gandhi University of Health Sciences, 4th T Block, Jayanagar,	Dr.B.R.Ramakrishna, Professor and Head of Department, Sushrutha Ayurvedic Medical College & Hospital, Prashanthi Kuteeram,	Ayurveda	With effect from 14th October, 2014 to 18th February, 2017 or till he ceases to be a member of the faculty of Ayurveda

Bangalore-560041 (Karnataka)	S. Vyasa Campus. Jodibingipura, Jigani, Bangalore-560106 (Karnataka)		of Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore-560041 Karnataka.
Rajiv Gandhi University of Health Sciences, 4th T Block, Jayanagar, Bangalore-560041 (Karnataka)	Dr. Rakshinda Subhani, Professor and Head of Department, Govt. Unani Medical College, Dr. Siddaiah Puranik Road, Basaveshwar Nagar, Bangalore-560079 (Karnataka)	Unani	With effect from 14th October, 2014 to 18th February, 2017 or till he ceases to be a member of the faculty of Unani of Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore-560 041 Karnataka."

[No. A. 11019/39/13-EC/CCIM University Election]

JITENDRA SHARMA, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 3259, dated the 21st August,1971 and was last amended *vide* notification number S.O. 2650, dated 15th October,2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.